संख्या-2/22मु.स./का-2/2013

प्रेषक,

**राजीव कुमार,**
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **प्रमुख सचिव/ सचिव**,
   लोक निर्माण/ पंचायती राज/ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. **मण्डलायुक्त**, सहारनपुर।
3. **जिलाधिकारी**, मुजफ्फरनगर/ शामली।

**कार्मिक अनुभाग-2** लखनऊ, दिनांक: 09 अक्टूबर, 2013

विषय :- मुजफ्फरनगर तथा आस-पास के जनपदों में दंगों में मरने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 27.09.2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के दृष्टिगत मण्डलायुक्त, सहारनपुर द्वारा दंगे में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सेवायोजित किये जाने के सम्बन्ध में पत्र संख्या-179/पी.ए., दिनांक 25.09.2013 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा लिये गये निर्णय से अवगत कराते हुए मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सेवायोजित कराने हेतु तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

2- मण्डलायुक्त, सहारनपुर द्वारा पत्र संख्या-185/पी.ए., दिनांक 27.09.2013 (प्रतिलिपि संलग्न) उपलब्ध कराया गया है, जिसके साथ जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर का पत्र संख्या-2392/जे.ए./सा.द./भर्ती, दिनांक 25.09.2013 भी आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित किया गया है। जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित किया गया है कि मृतक शाहनवाज पुत्र सलीम अहमद, निवासी ग्राम-कवाल के भाई नदीम पुत्र सलीम अहमद को प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर में बेलदार के पद पर सरकारी नौकरी दिये जाने का प्रस्ताव किया गया है। इस सम्बन्ध में यह भी अवगत कराया गया है कि दिनांक 27.08.2013 को हुई हत्या में नदीम पुत्र सलीम अहमद, निवासी ग्राम-कवाल, हत्या के प्रकरण में दर्ज हुई प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी होने के कारण उसके परिवार द्वारा

http://shasanadesh.up.nic.in

मृतक शाहनवाज पुत्र सलीम अहमद के दूसरे भाई शहजाद पुत्र सलीम अहमद, आयु 20 वर्ष, शैक्षिक योग्यता-साक्षर को सरकारी नौकरी दिये जाने हेतु सहमति दी गयी है। उपर्युक्त के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा नदीम पुत्र सलीम अहमद के स्थान पर मृतक के भाई शहजाद पुत्र सलीम अहमद को प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मुजफ्फरनगर में बेलदार के पद पर नियुक्ति हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

3- जिलाधिकारी, शामली द्वारा अपने उपर्युक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि पूर्व में श्री वासिद पुत्र स्व. रहीसा, निवासी ग्राम-लांक, थाना-फुगाना की शैक्षिक योग्यता-साक्षर, प्रस्तावित श्रेणी-चतुर्थ, प्रस्तावित विभाग का नाम-चिकित्सा विभाग तथा प्रस्तावित पद का नाम-चौकीदार अंकित किया गया था। पत्र में उल्लिखित किया गया है कि श्री वासिद की शैक्षिक योग्यता लिपिकीय त्रुटि से साक्षर अंकित हो गयी थी, जबकि उसने अपने को कक्षा-12 उत्तीर्ण बताया है। अत: श्री वासिद की शैक्षिक योग्यता-साक्षर के स्थान पर कक्षा-12 उत्तीर्ण, प्रस्तावित श्रेणी-चतुर्थ के स्थान पर तृतीय, प्रस्तावित विभाग-चिकित्सा विभाग के स्थान पर पंचायती राज विभाग एवं प्रस्तावित पद-चौकीदार के स्थान पर ग्राम पंचायत अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश पंचायत सेवक सेवा नियमावली, 1978 व ग्राम पंचायत अधिकारी (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1989 की चयन प्रक्रिया में शिथिलता वाँछित है।

4- सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा उपर्युक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है। सेवायोजित करने के पूर्व जिलाधिकारी श्री शहजाद पुत्र सलीम अहमद के मृतक शाहनवाज के भाई होने की पुष्टि कर लेंगे। श्री वासिद पुत्र स्व. रहीसा को सेवायोजित करने के पूर्व इनकी शैक्षिक अर्हता से भी नियुक्ति प्राधिकारी संतुष्ट हो लेंगे।

5- उपर्युक्त निर्णय के अनुसार मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त वर्णित दो मृत व्यक्तियों के आश्रितों को सेवायोजित कराने हेतु तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित् कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि

ह./-

**राजीव कुमार**

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in